



Ref: 290/2021  
Dt-18-8-2021

सचिव,  
सहकारिता विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय:—बिहार राज्य फसल सहायता योजनांतर्गत खरीफ 2020 का लंबित राशि का भुगतान करने तथा किसानों के लॉग-इन में व्यक्तिगत विवरण में सुधार हेतु दिशानिर्देश जारी करने के संबंध में।

महाशया,

बिहार के सभी जिलों में बिहार राज्य फसल सहायता योजना संचालित है, जिसमें फसल क्षति होने पर अनुदान की राशि निबंधित किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार राज्य फसल सहायता योजनांतर्गत किसानों का सिर्फ एक बार ही संपूर्ण विवरण के साथ निबंधन होता है। उसके बाद मौसम से अनुरूप फसल का निबंधन किया जाता है। उक्त योजनांतर्गत निबंधन के दौरान कई किसानों के ऑन-लाईन निबंधन में व्यक्तिगत विवरण यथा पंचायत का नाम, गांव का नाम, वार्ड संख्या इत्यादि में मानवीय भूल के कारण त्रुटिपूर्ण डाटा इंट्री हो गया है, फलस्वरूप कई किसान उक्त योजना के लाभ से वंचित रह गये हैं।

उदाहरण स्वरूप मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड के किसानों से मिली जानकारी के अनुसार झंझारपुर प्रखंड के 7 ग्राम पंचायतों में लगभग 5,200 निबंधित किसानों ने ऑन-लाईन आवेदन किया है। किसान सलाहकार के द्वारा जियो टैगिंग के माध्यम से ऑन-लाईन निरीक्षण कार्य भी किया गया। निरीक्षण के उपरांत सभी 7 पंचायतों में लगभग 200 किसानों का भुगतान किया गया लेकिन शेष लगभग 5,000 से अधिक किसानों का भुगतान अभी तक लंबित है। यह समस्या सम्भवतः बिहार के अन्य जिलों में भी हो सकती है।

अतः अनुरोध है कि उक्त योजनांतर्गत भुगतान से वंचित किसानों के लॉग-इन में व्यक्तिगत विवरण में एक बार सुधार का अवसर देने हेतु समुचित दिशानिर्देश जारी करना चाहेंगी, ताकि फसल सहायता योजना से राज्य के वंचित किसानों को भी अनुदान राशि मिल सके।

शुभकामनाओं के साथ,

भवदीय

*Nitish Mishra*  
(नीतीश मिश्रा) 18.8.21